Australian Government
Department of Social Services

DSS3213.01.24

अक्षमता सेवाएँ एवम् समावेशन अधिनियम (Disability Services and Inclusion Act) 2023 - आचार संहिता (Code of Conduct)

सेवा का उपयोग करने वालों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आचार संहिता (Code of Conduct) क्या है?

आचार संहित (यह संहिता) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निधिबद्ध (फंडेड) अक्षमता (डिसेबलिटी) सेवाएँ प्रदान करने वाले सभी प्रदाताओं के लिए मानदंडों का एक सैट है। इसमें राष्ट्रीय अक्षमता (डिसेबलिटी) बीमा योजना (एनडीआईएस) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अक्षमता (डिसेबलिटी) सेवाएँ शामिल नहीं हैं।

यह आचार संहिता (Code of Conduct) किन सेवाओं पर लागू होती है?

इन सेवाओं में निम्नांकित सेवाएँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- अक्षमता (डिसेबलिटी) रोज़गार सेवाएँ
- अक्षमता (डिसेबलिटी) समर्थन
- काउंसलिंग सेवाएँ
- पक्ष-समर्थन (एडवोकसी) सेवाएँ।

यह पता लगाने के लिए कि आपको मिलने वाली सेवाओं पर यह संहिता लागू होती है या नहीं, सामाजिक सेवाएँ विभाग (इस विभाग) की वेबसाइट देखें।

आचार संहिता (Code of Conduct) में क्या-क्या शामिल है

इस संहिता में बताया गया है कि अक्षमता (डिसेबलिटी) वाले लोगों को सहयोग या सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि सेवाएँ या सहयोग प्रदान करते समय वह व्यक्ति:

- आपके अधिकारों और निजता का सम्मान करे
- आपको सुरक्षित तरीके से सहायता प्रदान करे
- आपके साथ स्पष्ट बातचीत करे
- आपको प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाए
- किसी भी तरह के दुर्व्यवहार और/या यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाए

संपूर्ण आचार संहिता (Code of Conduct) इस विभाग की वेबसाइट पर मिल सकती है।

आचार संहिता (Code of Conduct) का मेरे लिए क्या अर्थ है?

यह आचार संहिता (Code of Conduct) अक्षमता (डिसेबलिटी) वाले उन लोगों को संरक्षित करती करती है जिन्हें अक्षमता (डिसेबलिटी) सेवाएँ मिलती है तथा सेवा की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखते हुए ऐसे लोगों को समर्थन प्रदान करती है।

यह आचार संहिता (Code of Conduct) कब लागू हुई थी?

यह आचार संहिता (Code of Conduct) जनवरी 2024 में लागू हुई थी। नए क़ानूनों के हिस्से के रूप में, यह संहिता वर्तमान में तथा भविष्य में अक्षमता (डिसेबलिटी) समर्थन और सेवाएँ प्रदान करने वाली, कॉमनवैल्थ द्वारा निधिबद्ध सभी सेवाओं पर लागू होती है। एनडीआईएस सेवाएँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं।

अगर मुझे मिलने वाला *सहयोग* इस आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुसार नहीं है तो क्या?

अगर आपको मिलने वाला सहयोग या सेवा इस आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुसार नहीं है, तो हो सकता है कि सेवा प्रदाता अपना कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा हो। आप शिकायत दर्ज करवाकर इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।

मैं शिकायत दर्ज कैसे करवा सकता हूँ?

अपने सेवा प्रदाता से बात करना पहला कदम होता है। अगर आप उनके उत्तर से ख़ुश नहीं हैं या सीधे अपने प्रदाता से बात करने में आपको असहज महसूस होता है, तो आप निम्नांकित के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं:

- 1800 880 052 पर शिकायत समाधान एवम् रेफरल सेवा
- इस विभाग की वेबसाइट।

सभी शिकायतें गोपनीय होती हैं और गुमनाम रहकर की जा सकती हैं। आप इस विभाग की वेबसाइट पर 'फीडबैक और शिकायतें (Feedback and Complaints)' सर्च करके इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी का पता लगा सकते हैं।